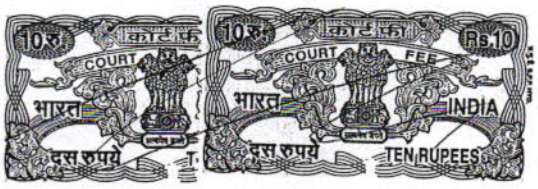

164

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर , म0प्र0
अपील / 3480 - II - 15

कैम्प भोपाल म0प्र0

तृतीय अपील क्र0 / 2015

मंगू खाँ आ0 रसूलखाँ जाति नायतातेली
निवासी ग्राम पांगिरी तहसील आष्टा ,
जिला सीहोर म0प्र0 ------------- अपीलार्थी

विरुद्ध

रहमान खाँ पुत्र स्व0 जुम्माखाँ (मृतक) केवारिसान
1- जुमरत बी बेवा स्व0 रहमान खाँ ,
2- बुलबुल बी पुत्री स्व0 रहमान खाँ ,
दोनो निवासी ग्राम पांगरी तहसील आष्टा जिला सीहोर
3- नगीना बी पुत्री स्व0 रहमान खाँ पत्नि
श्री सलीम खाँ निवासी ग्राम खाचरोद ,
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0
4- अकीलाबी पुत्री स्व0 रहमान खाँ पत्नि सलीमखाँ
निवासी ग्राम पगरावद , तहसील शुजालपुर जि० शाजापुर
5- अनीसा बी पुत्री स्व0 रहमान खाँ पत्नि
गफ्फार खाँ निवासी ग्रामखाडी हाट
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0
6- गफ्फार खाँ पुत्र स्व0 रहमान खाँ ,
निवासी हरनि खेडी तहसील आष्टा, जि० सीहोर
7- ईस्माईल खाँ पुत्र स्व0 श्री रहमान खाँ ,
निवासी ग्राम चाचाखोडी तहसील आष्टा ,
जिला सीहोर म0प्र0 ---------- प्रतिअपीलार्थी गण

"""---2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R: 3480/II/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	मेरु खां कार्यवाही तथा आदेश रहमान खां	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल के प्र०क० 401/अपील/08-09 में पारित आदेश दिनांक 23-12-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं प्रश्नाधीन आदेश का परिशीलन किया गया। अवलोकन एवं परिशीलन करने पर यह तथ्य प्रकट हुआ है कि प्रकरण में मुख्य विवाद, विवादित भूमि में आवेदक के सहखातेदार न होते हुए भी मात्र कब्जे के आधार पर बटवारा कराया गया था जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को अपने पक्ष समर्थन में तथा विवादित भूमि में सहखातेदार होने के संबंध में तथा विवादित भूमि में बटवारा कराये जाने का हक रखने के संबंध में आवश्यक अभिलेखीय आधार प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया गया किन्तु वे इसमें असफल रहे और ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर	

[कृ. प. उ.

R. 3480/11/15 सोहेल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
मेंगरूखाँ	(रहमान खाँ) अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में निकाले गये निष्कर्ष उचित एवं विधिसंगत होकर अपरिवर्तनीय है जो स्थिर रखे जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस निगरानी में ग्राह्यता का प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त आधार न होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों प्रकरण दा०रि० हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.